प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–......... 2022............
प्र0सू0रि0 सं ....228/22........ **दिनांक**........09/6/2022........

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018......**धाराए** .... **7** ....
(2) अधिनियम..**धाराए**..
(3) अधिनियम..**धाराए**..
(4) अन्य अधिनियम एवं ....**धाराएं**..

3. (क) घटना का दिन :– बुधवार ....**दिनांक :–...08.06.2022.....समय : 10.15 एएम**..........................
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–......................26.05.2022.....समय : 01.15 पीएम..........................
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....164......... **समय**..........6:00 pm..........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण–पश्चिम दिशा बफासला करीब 70 किमी
बीट संख्या..**जुरामदेही सं**..
(ख) पताः– वार्ड न. 02 गुरतेज कॉलोनी, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर ।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
थाने का नाम.. **जिला** ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री कृष्णलाल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री अमलखराम
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 44 वर्ष
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या......................**जारी करने की तिथि**..............................**जारी करने का स्थान**......................
(च) व्यवसायः– –
(छ) पता :– निवासी गांव लखाहाकम(चक 84 आर.बी.–बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. सुरेश मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ढाणी नेथाली ग्राम खुराड़ पोस्ट कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम, पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)................

परिवादी कृष्णलाल के गांव लखाहाकम स्थित अहाता सं. 147 व 569–570 के पट्टो का नवीनीकरण करने की एवज में आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा प्रति अहाता 3300/रूपये के हिसाब से तीनो अहातो के कुल 10,000/रूपये रिश्वत के मांग कर दिनांक 08.06.222 को परिवादी से 10,000/रूपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथो गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– ......10,000/रू..
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

सेवामें,

श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय :– भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कृष्णलाल पुत्र श्री अमलखराम जाति कुम्हार उम्र 44 साल निवासी गांव लखाहाकम(चक 84 आर.बी.–बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा मेरे गांव लखाहाकम में ग्राम पंचायत से अहाता सं. 147 व 569–570 बोली देकर खरीद किये गये थे, जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा मेरे नाम से जारी किये हुये है। मै इन अहातो पर लोन लेने के लिये बैंक में गया तो उन्होने मेरे इन पट्टो का ग्राम पंचायत से नवीनीकरण करवाने का कहा, बिना नवीनीकरण के लोन नही मिलेगा। जब नवीनीकरण के लिये मै हमारी ग्राम पंचायत

लखाहाकम के ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश मीणा से मिला तो उसने मेरे से तीनो अहातो (दोनो पट्टो) के 15000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिये ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी कृष्णलाल पुत्र श्री अमलखराम, निवासी गांव लखाहाकम(चक 84 आर.बी.–बी), तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर मो. नं. 7665242545, दिनांक 26.05.2022

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :– 26.05.2022
समय :– 01.15 पीएम
स्थानः– ब्यूरो कार्यालय,
श्रीगंगानगर–प्रथम

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 26.05.2022 वक्त 01.15 पीएम पर परिवादी श्री कृष्णलाल पुत्र श्री अमलखराम जाति कुम्हार उम्र 44 साल निवासी गांव लखाहाकम (चक 84 आर.बी.–बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–प्रथम पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र जानकार से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे गांव लखाहाकम में ग्राम पंचायत से अहाता सं. 147 व 569–570 बोली देकर खरीद किये गये थे, जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा मेरे नाम से जारी किये हुये है। मै इन अहातो पर लोन लेने के लिये बैंक में गया तो उन्होने मेरे इन पट्टो का ग्राम पंचायत से नवीनीकरण करवाने का कहा, बिना नवीनीकरण के लोन नही मिलेगा। जब नवीनीकरण के लिये मै हमारी ग्राम पंचायत लखाहाकम के ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश मीणा से मिला तो उसने मेरे से तीनो अहातो (दोनो पट्टो) के 15000/रूपये रिश्वत की मांग की। मै मेरे जायज काम के लिये ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी कृष्णलाल को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मै कल आरोपी से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह कानि0 से परिचय करवाया गया एवं दोनो के एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाकर सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 27.05.2022 वक्त 05.00 एएम पर श्री भवानी सिंह कानि0 को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर सत्यापन करवाने हेतु बजानिब रायसिंहनगर की ओर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर शामिल कागजात की गई। वक्त 5.15 पीएम पर गोपनीय सत्यापन में गये हुये श्री भवानी सिंह कानि. व परिवादी श्री कृष्णलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। फिर परिवादी ने बताया कि मैं डिजीटल टेप रिकॉर्ड चालु हालत में लेकर आरोपी से पंचायत समिति रायसिंहनगर में मिलने जा रहा था, तब आरोपी का मेरे पास फोन आया और कहा कि आप जल्दी आ जाओ, जिस पर मै पंचायत समिति कार्यालय में गया तो आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाईकिल पर खुद व मुझे साथ लेकर अपने निजी आवास में ले गया, जिसने मेरे से मेरे पट्टो के नवीनीकरण के सम्बधं में बात करते हुये **प्रति अहाता 3300/रूपये के हिसाब से तीनो अहातो के कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय किये है।** फिर भवानी सिंह कानि. ने भी परिवादी के कथनो की ताईद करते हुये सत्यापन परिवादी कृष्णलाल को साथ लेकर रायसिंहनगर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आना बताया। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये रिश्वत मांग के तथ्यों की पुष्टि होकर विस्तृत वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि आरोपी मेरे से सोमवार को रिश्वत के 10,000/रूपये लेगा तथा अब शाम का समय हो गया है तथा गांव जाने के लिये देर रात्रि कोई आवागमन का साधन नही है, मै सोमवार दिनांक 30.05.22 को रिश्वत मे देने वाली राशि सहित उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर मैने मेरी सुरक्षा में लिया। **दिनांक 30.05.2022 वक्त 8.15 एएम** पर परिवादी श्री कृष्णलाल ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 27.05.22 की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से अधीक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर श्री राकेश बेरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री जितेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर उनसे कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी कृष्णलाल से दोनो गवाहान को आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी की

रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। उपरोक्त दोनों गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री कृष्णलाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/–रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। प्रस्तुत नोटों के विवरण निम्नानुसार है:–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3EW 617401
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	1MH 714308
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3BC 899809
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5NH 764913
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5NL 466419
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9WN 832837
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4FS 381741
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8HE 581542
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3BQ 124562
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2EN 813272
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	0VV 079673
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2RQ 551778
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4KL 695683
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9ED 829492
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8AW 635592
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9AH 768093
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5SN 890600
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4DB 424346
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	7SF 876522
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	5DC 413445

तत्पश्चात श्री लीलाधर मु0आ0 102 से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त प्रस्तुत 10,000/–रूपये के नोटो पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाते हुये फिनॉफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री जितेन्द्र कुमार से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000/रू के नोटो को श्री लीलाधर मु0आ0 102 के जरिये परिवादी के पहनी पेन्ट के दाहिनी साईड की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को बतौर रिश्वत देवे व आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री लीलाधर मु0आ0 102 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री लीलाधर मु0आ0 के हाथो, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री कृष्णलाल को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 01.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री कृष्णलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश बेरी, श्री जितेन्द्र कुमार व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज एएसआई, श्री बजरंगलाल कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री संजीव कुमार कानि, श्री भवानी सिंह कानि., श्री दिनेश कुमार कानि0, श्री प्रदीप कुमार कानि0 तथा श्री पंकज कानि0ड्रा. मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नजदीक रायसिंहनगर पहूंचा। जहां आरोपी की मौजूदगी का पता करवाया तो वह रायसिंहनगर में ही होना पता चला, लेकिन कहा है या किस स्थान पर का पता नही लग सका। जिस पर रायसिंहनगर के बाहर ही गोपनीय स्थान पर मय हमराहीयान मुकिम रहा। वक्त 04.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान रवाना होकर नजदीक बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पहूंचा। जहां आरोपी की मौजूदगी के सम्बधं में मालुमात करने हेतु वक्त करीब 4.27 पीएम पर परिवादी कृष्णलाल के मोबाईल न. 76652–42545 से आरोपी सुरेश मीणा के मोबाईल न. 94147–47296 पर वार्ता करवायी गई तो आरोपी ने 10–15 मिनट में बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पर ही मिलने हेतु कहा। उक्त वार्ता को

परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। फिर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पर ही रूककर आरोपी का इंतजार करने के निर्देश दिये, मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के बस स्टेण्ड रायसिंहनगर में ही मुकिम हुआ। वक्त 04.35 पीएम पर मोटरसाईकिल पर चश्माधारी एक युवक परिवादी कृष्णलाल के पास बस स्टेण्ड रायसिंहनगर में आकर रूका और परिवादी से बातचीत करने लगा और बात करते–करते परिवादी को साथ लेकर बस स्टेण्ड में ही स्थित एक फोटो कॉपी की दुकान में चला गया, फिर बाहर आकर वह युवक मोटरसाईकिल पर बैठ कर परिवादी से पुनः बातचीत करने लगा, उसके करीब 10–15 मिनट बाद वह युवक मोटरसाईकिल से वापस चला गया। जिस पर परिवादी के पास पहूंचकर पूछा तो उसने डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि साहब उसने मेरे से मेरे पट्टो की मूल कॉपी व शपथ पत्र तथा आधार कार्ड आदि कागजात ले लिये, बातचीत के दौरान उसने मेरे से रिश्वत के सम्बधं में पूछा कि कितने है, तो मैने उसको बताया कि 10,000/रूपये है, तब मैने उसे 10,000/रूपये देने के प्रयास भी किये, लेकिन उसने रिश्वत राशि नही ली, वह मुझे अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठा कर शहर में ले जाकर किसी अन्य व्यक्ति को दिलवाना चाहता था, लेकिन मै उसके साथ नही गया, उसने शक एवं सतर्कता के तहत मेरे से रिश्वत राशि नही ली है। जिस पर परिवादी को साथ लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर रायसिंहनगर के बाहर गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेपटॉप से कनेक्ट कर रूबरू गवाहान व परिवादी के सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद होना पाया गया। फिर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी व आरोपी के मध्य वक्त 4.27 पीएम पर मोबाईल करवाई गई रिकॉर्ड वार्ता व वक्त रिश्वत लेन देन की रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। फिर परिवादी ने बताया कि आरोपी आज शाम को जयपुर जायेगा, जो सोमवार दिनांक 06.06.22 तक आने की कह रहा था। आईंदा आरोपी की मौजूदगी का पता लगाकर मै आपको सूचित कर दूंगा। ऐसी स्थिति में ट्रेप कार्रवाई सम्भव नही होने से परिवादी की पेन्ट की जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि 10,000/रू विजय प्रसाद कानि0 के जरिये वापस प्राप्त किये। तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर वही से रूख्सत करते हुये मन उप पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मौका से रवाना ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंच कर रिश्वत राशि 10,000/रू व शील्डशुदा सीडी व खुली सीडी श्री लीलाधर कानि. के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवायी गई। गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। **दिनांक 07.06.2022** को परिवादी श्री कृष्णलाल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी अवकाश से रायसिंहनगर आ गया है। जिससे कल सुबह उसके रायसिंहनगर स्थित आवास पर मेरे काम के लिये सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी को कल सुबह रायसिंहनगर में गजसिंहपुर–पदमपुर त्रिराहा पर मिलने हेतु पाबंद कर रूख्सत किया गया। ब्यूरो स्टाफ व स्वतन्त्र गवाह को भी कल सुबह वक्त 7.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। **दिनांक 08.06.2022** वक्त 07.45 एएम पर तलविदा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश बेरी स0प्र0अ0 व श्री जितेन्द्र कुमार स0प्र0अ0 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश बेरी, श्री जितेन्द्र कुमार व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज एएसआई, श्री बजरंगलाल कानि0, श्री नरेश कुमार कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री संजीव कुमार कानि, श्री भवानी सिंह कानि., श्री दिनेश कुमार कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भंवर राम कानि0 तथा श्री महेश सिंह कानि0ड्रा. मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के सरकारी टवेरा गाड़ी व प्राईवेट कार से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु बजानिब रायसिंहनगर की ओर रवाना हुआ। रिश्वत राशि 10,000/रूपये कागज में लेपेटे हुये ट्रेप सामग्री से अलग सरकारी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखवाकर साथ ली गई। वक्त 09.15 एएम पर रवाना शुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उक्त तय शुदा स्थान रायसिंहनगर पहूंचा। जहां परिवादी कृष्णलाल उपस्थित मिला। जिस पर श्री भंवरराम कानि0 से सरकारी गाड़ी टवेरा के डेस्क बोर्ड में रखी रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये निकलवाये गये। नोटों पर पूर्व से फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ था, गवाह श्री जितेन्द्र कुमार से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास सिवाय मोबाईल के कुछ नही रहने देकर उक्त पाउडर युक्त 10,000/रूपये भंवरराम कानि0 से ही परिवादी के पहनी पेंट की साईड की जेब में रखवाकर उसे पूर्वानुसार निर्देश दिये गये। मौका की वार्ता रिकार्ड हेतु परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द किया गया। वक्त 9.50 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौका से रवाना होकर गुरतेज कॉलोनी, रायसिंहनगर पहूंचा, वहा परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर आरोपी से सम्पर्क करने आरोपी के आवास की तरफ रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मय हमराहीयान के आरोपी के आवास के ईद गिर्द ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 10.15 एएम पर परिवादी कृष्णलाल ने गुरतेज कॉलोनी, रायसिंहनगर में एक पश्चिम दिशा में खुलते मकान के बाहर आकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब परिवादी कृष्णलाल के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये बताया कि आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी अपने इस मकान में है, जिसने मेरे से मेरे लखा हाकम स्थित अहाता सं. 147 व 569–570 के पट्टा नवीनीकरण करने के बदले 10,000/रूपये रिश्वत के ले लिये है, मुझे पट्टे नवीनीकरण कर कल दे देने का कहा है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के परिवादी को साथ लेते हुये उक्त मकान में प्रवेश हुआ तो ट्रेप पार्टी को देखकर एक युवक मकान की गैलरी से भागकर एक कमरे में चला गया, जिसे परिवादी ने आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी होना बताया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस हमराहीयान सहित तेज चलकर उसके पीछे कमरा में पहुंचा तो उक्त युवक ने उक्त कमरा में अलमारी के नीच की एक

छोटी खिड़की खोलकर हाथ में पकड़ी राशि उसमें फेंक दी, जिस पर खीड़की के अन्दर देखने पर वहां पानी का कुंड पानी से भरा हुआ पाया गया व पांच–पांच सौ के नोट उसमें तेरते दिखाई दिये। इस पर हमराही गवाहान की मौजूदगी में ब्यूरो के श्री विजय प्रसाद कानि0 से उक्त राशि निकलवाकर गवाहो को दिखाई एवं तो 500–500/रूपये के बीस नोट कुल 10,000/रूपये होना पाये गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त युवक को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी गांव व पोस्ट कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी सुरेश मीणा से परिवादी कृष्णलाल से सम्बधिंत कार्य एवं उससे रिश्वत लेने के सम्बधं में पूछा तो आरोपी ने बताया कि यह कृष्णलाल लखाहाकम का रहने वाला है, इसने कुछ दिन पहले मुझे ग्राम पंचायत लखाहाकम से बोली में पूर्व में खरीद किये गये अहाता सं. 147 व 569–570 के दो पट्टो का नवीनीकरण करने हेतु पट्टे मुझे दिये थे, मैने उक्त पट्टा नवीनीकरण की फीस के रूप में इससे 10,000/रूपये लिये है, मैने इससे कोई रिश्वत नही मांगी एवं ना ही ली है। इस पर आरोपी से पूछा गया जब आप द्वारा फीस की राशि ली गई है तो परिवादी कृष्णलाल से प्राप्त की गई राशि पानी के कुंड में क्यो फेंकी। जिस पर आरोपी सुरेश मीणा ने बताया कि साहब मै घबरा गया था। इस पर परिवादी कृष्णलाल ने स्वतः ही बताया कि मेरे द्वारा गांव लखाहाकम में ग्राम पंचायत से अहाता सं. 147 व 569–570 बोली देकर खरीद किये गये थे, जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा मेरे नाम से जारी किये हुये है। मै इन अहातो पर लोन लेने के लिये बैंक में गया तो उन्होने मेरे इन पट्टो का ग्राम पंचायत से नवीनीकरण करवाने का कहा, बिना नवीनीकरण के लोन नही मिलेगा। जब नवीनीकरण के लिये मै हमारी ग्राम पंचायत लखाहाकम के ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश मीणा से मिला तो उसने मेरे से तीनो अहातो (दोनो पट्टो) के 15,000/रूपये रिश्वत की मांग की, मै इसे मेरे जायज काम के लिये रिश्वत नही देना चाहता था, इसलिये दिनांक 26.05.22 को मेरे द्वारा सुरेश मीणा के खिलाफ कार्यवाही के लिये आपके कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 27.05.22 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान इसने मेरे से पट्टो के नवीनीकरण के सम्बधं में बात करते हुये प्रति अहाता 3300/रूपये के हिसाब से तीनो अहातो के कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय किये थे, फिर दिनांक 30.05.22 को ट्रेप की कार्यवाही के दौरान इसने सतर्कता के तहत मेरे से बस अड्डा रायसिंहनगर पर रिश्वत राशि प्राप्त नही की थी। आज इसने अपने द्वारा मांग अनुसार मेरे उक्त पट्टो के नवीनीकरण सम्बधी कार्य के बदले प्राप्त की गई राशि 10,000/रूपये बतौर रिश्वत ली है। इस पर आरोपी से पुनः पूछा तो उसने कोई जबाव नही दिया। उक्त घटनाकम से परिवादी व आरोपी सुरेश मीणा के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी सुरेश मीणा के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी टवेरा गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी सुरेश मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **मटमैला** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी सुरेश मीणा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **हल्कागुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके पश्चात पानी के कुंड से निकलवायी गई राशि विजयप्रसाद कानि. से गवाह जितेन्द्र कुमार को दिलवाकर गिनवाई गई तो गवाह ने गिनकर 500–500/रूपये के बीस नोट कुल 10,000/रूपये होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी कृष्णलाल के अनुसार आरोपी सुरेश मीणा द्वारा रिश्वत राशि हाथ में ही ली गई थी, ऐसी स्थिति में रिश्वत राशि का आरोपी की कमीज या पेन्ट की जेब से सम्पर्क नही होने के कारण आरोपी की कमीज/पेन्ट की जेब का धोवन नही लिया गया। इसके बाद आरोपी सुरेश मीणा से परिवादी कृष्णलाल से सम्बधिंत पट्टो व ग्राम पंचायत की रसीद बुक बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि इस कृष्णलाल के उक्त अहाता सं. 147 व 569–570 के ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा जारीशुदा पट्टे मेरे पास ही है। आरोपी ने अपने इस कमरा में मेज पर रखे रिकॉर्ड में से कुछ कागज फोल्ड किये हुये पेश कर बताया कि यह कृष्ण लाल के पट्टे आदि है, जिन पर नवीनीकरण कार्यवाही शेष है। प्रस्तुत उक्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो एक कागज "आबादी भूमि का विकय विलेख" ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा अहाता न. 147 साईज 56 गुणा 67 लखाहाकम का दिनांक 25.12.97 का जारीशुदा कृष्णलाल पुत्र श्री अमलखराम नाम का पट्टा है, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत लखाहाकम की मोहर व हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दूसरा कागज "आबादी भूमि का विकय नाम" पट्टा कमांक 2182 दिनांक 23.09.99 ग्राम पंचायत लखाहाकम द्वारा अहाता न. 569–570 पट्टा की पुश्त पर नक्शा अनुसार प्रत्येक अहाता साईज 50 गुणा 60 लखाहाकम का जारीशुदा कृष्णलाल पुत्र श्री अमलख राम नाम का पट्टा है। तीसरा कागज परिवादी कृष्णलाल द्वारा सरपच व ग्राम सेवक, लखाहाकम के नाम अपने उक्त अहातो को पुनरविद करने हेतु दिया गया हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2022 व प्रार्थना पत्र के संलग्न परिवादी कृष्णलाल द्वारा 50/रूपये के स्टाम्प पर

दिया गया शपथ पत्र मूल, जो नोटरी से सत्यापित है। जिस पर परिवादी हित को देखते हुये उक्त चारो कागजो की प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर लेकर उक्त मूल कागजात श्री सुनील कुमार बिश्नोई कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सुपुर्द किये गये। आरोपी ने बताया कि चालु वित्त वर्ष 2022–2023 की ग्राम पंचायत की रसीद बुक शुरू नही की है, ना ही चालु वित्त वर्ष की केश बुक खोली है। इस परिवादी कृष्णलाल के नाम से मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में कोई रसीद जारी नही की है। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कशीद किया गया। तत्पश्चात आरोपी सुरेश मीणा के अस्थायी उक्त आवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी कृष्णलाल को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी सुरेश मीणा, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर पहूंचा। जहां पर आरोपी सुरेश मीणा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात मौका से मय हमराहीयान के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत चार शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 10,000/रू रिश्वत राशि, दो शील्डशुदा सीडी आदि श्री लीलाधर मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी सुरेश मीणा को माननीय सेशन न्यायालय, भ्र0नि0 श्रीगंगानगर में समक्ष पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी कृष्णलाल पुत्र श्री अमलखराम निवासी गांव लखाहाकम(चक 84 आर.बी.–बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा गांव लखाहाकम में ग्राम पंचायत से अहाता सं. 147 व 569–570 बोली देकर खरीद किये गये थे, जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा उसके नाम से जारी किये हुये है। परिवादी द्वारा खरीद किये गये उक्त अहातो पर बैंक से लोन प्राप्त करने के लिये पट्टो का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक था। परिवादी कृष्णलाल द्वारा आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम से मिलकर पट्टो के नवीनीकरण हेतु सम्पर्क करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से तीनो अहातो (दोनो पट्टो) के 15,000/रूपये रिश्वत की मांग की गई। इस परिवादी द्वारा दिनांक 26.05.22 को ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.05.22 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से पट्टो के नवीनीकरण के सम्बधं में बात करते हुये प्रति अहाता 3300/रूपये के हिसाब से तीनो अहातो के कुल 10,000/रूपये रिश्वत के लेना तय किये। फिर दिनांक 30.05.22 को ट्रेप की कार्यवाही का आयोजन किया गया, परन्तु आरोपी द्वारा सतर्कता के तहत परिवादी कृष्णलाल से रिश्वत राशि प्राप्त नही की। दिनांक 08.06.222 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर रायसिंहनगर पहूंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी सुरेश मीणा द्वारा गुरतेज कॉलोनी रायसिंहनगर स्थित अपने किराये के मकान में परिवादी से 10,000/रूपये रिश्वत के प्राप्त किये, बाद में ट्रैप पार्टी के पहूंचने पर आरोपी द्वारा हाथ में पकड़ी रिश्वत राशि अपने मकान के कमरा में ही बने पानी के कुंड में फेंक दी, जहां से रिश्वत बरामद की गई। आरोपी के हाथो की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग कमशः मटमैला व हल्का गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया तथा वक्त ट्रेप परिवादी का कार्य आरोपी के पास लम्बित होना पाया गया है। उक्त घटना कम के आधार पर आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम, पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा अपने पदीय दायित्व के निर्वहन भ्रष्ट आचरण कर व अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी कृष्णलाल से उसके पट्टा नवीनीकरण सम्बधी कार्य की एवज में 10,000/रूपये रिश्वत मांग कर प्राप्त किये जाना का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाया गया है। अतः आरोपी सुरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम, पंचायत समिति रायसिंहनगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भुपेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री सुरेश मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लखाहाकम, पंचायत समिति रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 228/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2006-10 दिनांक 9.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

9.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।